

प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 30.09.2024

चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 8700 रूपया नगद व 03 लोहे का फर्मा बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवां के नेतृत्व में उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह कां0 कुलदीप चौधरी के देखभाल क्षेत्र /जांच प्रा0पत्र /पेण्डिंग विवेचना महुआतर क्रासिंग से पहले सोनबरसा तिराहे पर मामूर थे कि जरिए मुखबीरखास सूचना मिली कि आपके मु0अ0स0 643/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनिल कुमार यादव पुत्र स्व0 रमेश चन्द यादव निवासी मंगलपुर तेनहिया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 8700 रूपया नगद व अभियुक्त के निशानदेही पर चोरी का 03 लोहे का फर्मा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा दिनांक 12.09.2024 को वादी के दुकान से 13 लोहे का फर्मा चोरी कर लिया गया था जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण-

अनिल कुमार यादव पुत्र स्व0 रमेश चन्द यादव निवासी मंगलपुर तेनहिया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 643/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

बरामदगी

8700/- रूपया नगद व 03 लोहे का फर्मा

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह
3. कां0 कुलदीप चौधरी